

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
Indian Council of Medical Research

फा. सं.: 20/1/2002-हिंदी

दिनांक :- 31.05.2022

कार्यालय आदेश/Office Order

यह देखा गया है कि परिषद मुख्यालय के कुछ प्रभागों/अनुभागों द्वारा रा.भा. अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) आने वाले दस्तावेजों को द्विभाषी रूप में जारी नहीं किया जा रहा है। It has been observed that the documents covered under Section 3 (3) of the O.L. Act, 1963 are not being issued in bilingual form by some divisions/Sections of the Council Hqrs. यथा/such as :- (1) संकल्प (Resolution), (2) सामान्य आदेश (General Orders), (3) नियम (Rules), (4) अधिसूचनाएं (Notifications), (5) प्रशासनिक एवं अन्य प्रतिवेदन या (Administrative & other reports), (6) संसदीय दस्तावेज, (Parliamentary Documents), (7) संविदाएं (Contracts), (8) करार (Agreement), (9) अनुज्ञप्तियां (Licenses), (10) अनुज्ञा-पत्र (Permits), (11) निविदा सूचनाएं (Tender Notices), (12) निविदा प्रारूप (Tender Form), (13) प्रेस विज्ञप्तियां (Press Release), (14) संसद के समक्ष रखे जाने वाले प्रतिवेदन तथा कागज-पत्र (Reports & documents to be laid before the Parliament)

उक्त दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उपरोक्त दस्तावेज द्विभाषी रूप में ही जारी किए जा रहे हैं। The Officers signing the above documents should ensure that the above documents are being issued in bilingual form only.

अतः सभी अधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि उक्त सभी दस्तावेज अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप में ही जारी किए जाएं। Therefore, all the Officers are directed to issue all the above documents compulsorily in bilingual form only.

आर. रामकृष्णन

(आर. रामकृष्णन)

वरि. उपमहानिदेशक (प्रशा.)

प्रतिलिपि :

1. महानिदेशक कार्यालय
2. वरि. उपमहानिदेशक (प्रशा.) कार्यालय
3. वरि. वित्त सलाहकार कार्यालय
4. सभी प्रभाग प्रमुख
5. उपमहानिदेशक (प्रशा.)
6. सहा. महानिदेशक (प्रशा. एवं वित्त)
7. वरि. प्रशा./लेखा अधिकारी
8. प्रशा./लेखा अधिकारी
9. डॉ. एल. के. शर्मा, वैज्ञानिक-ई आईसीएमआर की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु